कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।

संख्याक 7825 /2014–15 माध्यम अंग्रेजी दिनांक 11 नवम्बर 2014

प्रबन्धक,

मदर्स ग्लोबल एकेडमी ,

एलाऊ,गदाईपुर ,जागीर,मैनपुरी।

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार** अधिनियम 2009 की धारा 18 के **प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार** नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के **अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख जुलाई **2014 से अगस्त 2014 तक** के आवेदन और अस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ प्रश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से में **मदर्स ग्लोबल एकेडमी , एलाऊ,गदाईपुर ,जागीर,मैनपुरी।** को तारीख **10 नबम्बर, 2014** से तारीख **10नवम्बर, 2017** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **प्री प्राइमरी/नर्सरी** से कक्षा **08** तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करनें के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्ष 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 ..प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधरा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किए जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा

(i)– प्रवेश दिए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या, मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक के कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v)– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्ता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii)– अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और